IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

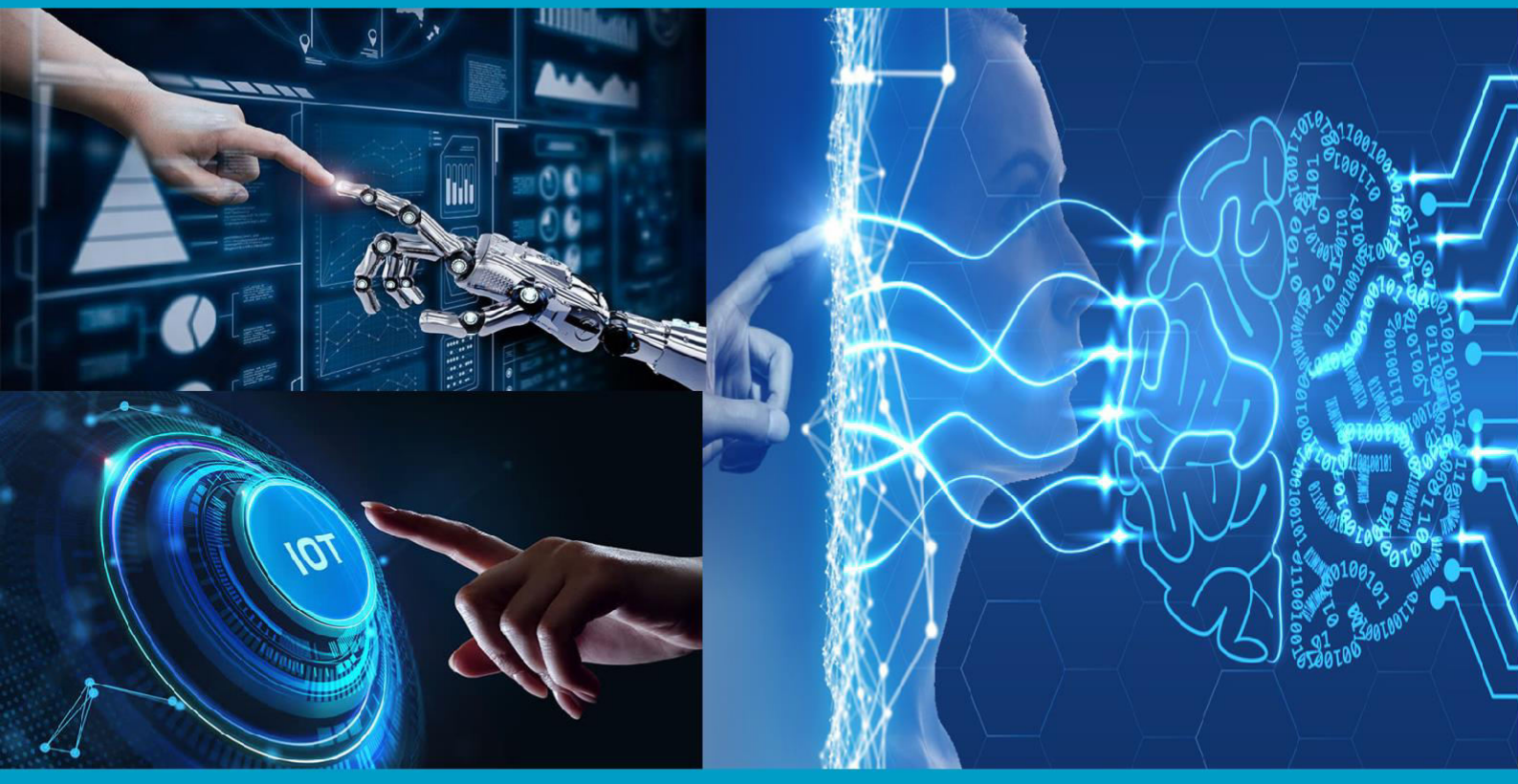

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 11, Issue 4, April 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.802

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

भारत में नीति कार्यान्वयन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का एक विश्लेष्णात्मक अध्ययन

Dr. Brajkishore[1], Jaya Agarwal[2]

Assistant Professor, Department of Political Science, Govt. Girls College, Ajmer, India[1,2]

सार: परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों को समर्थन या सुविधा प्रदान करना जिनका उद्देश्य समाज के लिए काम करना है। यह एनजीओ के कार्यों की निगरानी करता है और सरकार एवं एनजीओ समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ऐसे छाता एनजीओ और नेटवर्क बने रहेंगे जिनके माध्यम से संयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

I. परिचय

- विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के प्रावधान नियमों के उल्लंघन के लिये वर्ष 2016 में, 20,000 गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- उन गैर सरकारी संगठनों के विरुद्ध यह कार्रवाई हुई है जो विदेशी धन का उपयोग धार्मिक मतांतरण जैसी अनधिकृत गतिविधियों में कर रहे थे।
- नए नियमों के अनुसार सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक वित्तपोषित गैर सरकारी संगठनों के अधिकारियों को लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवक माना गया है और उन्हें अपनी परिसंपत्तियों व देनदारियों का ब्यौरा दाखिल करना है और इस प्रकार अनुदान के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- एनजीओ के कामकाज के तरीकों तथा इन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर अलग-अलग राय और तर्क सामने आते हैं। सवाल उठते हैं कि क्या NGO को स्वतंत्र तरीके से काम करने दिया जाना चाहिये, उनकी विदेशी फंडिंग को रोक दिया जाना चाहिये अथवा उन पर और अंकुश लगाना चाहिये?[1,2,3]

गैर सरकारी संगठन

- एनजीओ का अर्थ होता है- गैर सरकारी संगठन। एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख-दर्द दूर करने, निर्धनों के हितों का संवर्द्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएँ प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिये गतिविधियाँ चलाता है।
- वे गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात् वे लाभ का वितरण अपने मालिकों और निदेशकों के बीच नहीं करते बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। वे किसी सार्वजनिक उद्देश्य को लक्षित होते हैं।
- गैर सरकारी संस्थाओं को विदेशी धन प्राप्त करने के लिये एफसीआरए, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ता है या पूर्व अनुमति लेनी होती है।
- भारत में गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये कोई एक विशेष कानून अथवा कोई शीर्ष संगठन नहीं है।

गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

- गैर सरकारी संगठनों की उपस्थिति नागरिकों की आवाज को अभिव्यक्ति देकर सहभागी लोकतंत्र को सक्षम बनाती है।
- ये निम्नलिखित माध्यमों से जनता और सरकार के बीच प्रभावी गैर-राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं:
- परामर्श और रणनीतिक सहयोग, जहाँ सरकार द्वारा गठित कमिटियों, टास्क फोर्स और सलाहकार पैनल में गैर सरकारी संगठनों को शामिल कर उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है।
- जागरूकता फैलाने, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, अध्ययन व अनुसंधान एवं सार्वजनिक अपेक्षा को स्वर देने में ये सहयोग करते हैं। सरकार के प्रदर्शन पर संवाद व निगरानी द्वारा वे राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं।
- भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या मनरेगा और सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुख विधेयक गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से ही पारित हुए।

संदेह के कारण

- इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि गैर सरकारी संगठन ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो राष्ट्रीय हितों के लिये नुकसानदेह हैं, सार्वजनिक हितों को प्रभावित कर सकते हैं या देश की सुरक्षा, वैज्ञानिक, सामरिक या आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

- रिपोर्ट में उन्हें सरकार के विकास लक्ष्य के मार्ग की प्रमुख बाधा बताया गया है और आरोप लगाया गया है कि वे जीडीपी विकास पर प्रतिवर्ष 2-3 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
- आईबी के रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त बहुत सारे एनजीओ देश में अलगाववाद और माओवाद को हवा दे रहे हैं। बहुत सारा पैसा धर्मांतरण, विशेषकर आदिवासियों को ईसाई बनाने के काम में जा रहा है। उन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि विदेशी शक्तियाँ उनका उपयोग एक प्रॉक्सी के रूप में भारत के विकास पथ को अस्थिर करने के लिये करती हैं, जैसे- परमाणु ऊर्जा संयंत्रें और खनन[4,5,6] कार्य के खिलाफ गैर सरकारी संगठनों का विरोध प्रदर्शन।

आलोचना

- गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त विदेशी धन में से मात्र 13प्रतिशत का उपयोग धार्मिक गतिविधियों जैसी संभावित संदिग्ध गतिविधियों पर हुआ।
- विदेशी निधियों का प्रमुखउपयोग ग्रामीण विकास, गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रोंमें हुआ।
- एफआईआई और एफडीआई जैसे विदेशी धन आगमन की तुलना में गैर सरकारी संगठनों को प्राप्त होने वाला विदेशी धन अत्यल्प है।
- गैर सरकारी संगठन समुदायों को सबल बनाते हैं, इसलिये उनके दमन की नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने की आवश्यकता है।
- अगर किसी के पास एक असहमत दृष्टिकोण है तो इसका आशय यह नहीं है कि वह देश का शत्रु है।
- सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं को भागीदार के रूप में कार्य करना चाहिये और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये पूरक की भूमिका निभानी चाहिये जो परस्पर विश्वास व सम्मान के मूल सिद्धांत पर आधारित हो और साझा उत्तरदायित्व व अधिकार रखता हो।

एनजीओ के प्रति वर्तमान दमन का दृष्टिकोण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी प्रभाव डालेगा।

II. विचार-विमर्श

हाल ही में संसद ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, [Foregin Currency Regulation Act- (FCRA), 2010], 2010 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये हैं। सरकार के अनुसार इन संशोधनों का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organisations- NGO) के कामकाज में पारदर्शिता लाना है। हालाँकि इन नए नियमों ने गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के लिये प्रतिकूल स्थितियाँ पैदा कर दी हैं, जिनके पास विदेशी संस्थाओं के साथ वित्तीय भागीदारी है। इस प्रकार कई नागरिक समाज समूह इन संशोधनों पर विशेष रूप से ऐसे समय में सवाल उठा रहे हैं जब देश को COVID-19 महामारी के हानिकारक प्रभावों सहित कई चुनौतियों से निपटने के लिये मज़बूत नागरिक समाज संगठनों और नेटवर्क की आवश्यकता है। इस प्रकार भारत के विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को देखते हुए गैर-सरकारी संगठनों की स्वायत्तता और गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्त गैर-सरकारी संगठनों की जाँच करने के लिये सरकार की अनिवार्यता के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

कानून में प्रमुख संशोधन

अब कुल विदेशी चंदे में से 20% से अधिक को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रशासनिक व्यय नहीं करने का प्रावधान किया गया है।
नए संशोधन के अंतर्गत NGO को विदेशी अनुदान के संबंध में दिल्ली शाखा में भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना आवश्यक है।
यह FCRA के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों को किसी अन्य संगठन को हस्तांतरित करने पर भी प्रतिबंध लगाता है।
यह एक गैर सरकारी संगठन[7,8,9] के FCRA प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिये गृह मंत्रालय को व्यापक अधिकार देता है।

इन संशोधनों से संबंधित चिंताएँ

नए FCRA प्रावधान विशेष रूप से वह है जो गैर-सरकारी संगठनों को अधीन करने से रोकता है जिससे देश के विकास क्षेत्र में सहयोग की भावना को खतरा है।
यह विदेशी वित्त पोषण और विकास सहायता के प्रवाह को कमज़ोर करेगा।
इसके अलावा प्रस्तावित परिवर्तन पर्यावरणवाद, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकांश विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं। ये आदर्श भारत की सॉफ्ट पॉवर के महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं।
इन मुद्दों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा है कि नया कानून अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ असंगत है और अधिकारों के लिये भारत के अपने संवैधानिक प्रावधान हैं।

भारतीय लोकतंत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

भारत में लगभग 3.4 मिलियन गैर-सरकारी संगठन हैं जो हाशिए पर और वंचित समुदायों के लिये आपदा राहत से लेकर समर्थन तक के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में भूमिका और ज़िम्मेदारियाँ बहुत अधिक हैं जिन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

अंतर को भरना: गैर सरकारी संगठन सरकार के कार्यक्रमों में खामियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और उन लोगों तक पहुँचते हैं जो अक्सर राज्य की परियोजनाओं से अछूते रह जाते हैं। उदाहरण के लिये- COVID-19 संकट में प्रवासी श्रमिकों को सहायता प्रदान करना।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

इसके अलावा वे मानव और श्रम अधिकारों, लैंगिक मुद्दों, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, कानूनी सहायता और यहाँ तक कि अनुसंधान से संबंधित विविध गतिविधियों में लगे हुए हैं।

अधिकार संबंधी भूमिका: समाज में कोई भी बदलाव लाने के लिये सामुदायिक-स्तर के संगठन और स्वयं सहायता समूह महत्त्वपूर्ण हैं।

अतीत में ऐसे ज़मीनी स्तर के संगठनों को बड़ी NGO और अनुसंधान एजेंसियों के साथ सहयोग से सक्षम किया है जिनकी विदेशी फंडिंग तक पहुँच है।

दबाव समूह के रूप में कार्य करना: [10,11,12]ऐसे राजनीतिक गैर सरकारी संगठन हैं जो सरकार की नीतियों और कार्यों के विरुद्ध जनता की राय जुटाते हैं।

इस तरह के NGO जनता को शिक्षित करने और सार्वजनिक नीति पर दबाव बनाने में सक्षम हैं, वे लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण दबाव समूहों के रूप में कार्य करते हैं।

वे गुणवत्ता सेवा की मांग के लिये गरीबों को जुटाते और संगठित करते हैं और ज़मीनी स्तर के सरकारी अधिकारियों के प्रदर्शन पर जवाबदेही के लिये सामुदायिक प्रणाली लागू करते हैं।

सहभागी शासन में भूमिका: कई नागरिक समाज की पहल ने देश में कुछ पथ-तोड़ने वाले कानूनों में योगदान दिया है जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, वन अधिकार अधिनियम, 2006 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 शामिल हैं।

सामाजिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना: सामाजिक अंतर-मध्यस्थता समाज में परिवर्तन के वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये प्रचलित सामाजिक परिवेश के भीतर सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये विभिन्न एजेंटों द्वारा समाज के विभिन्न स्तरों का एक हस्तक्षेप है।

भारतीय संदर्भ में जहाँ लोग अभी भी अंधविश्वास, आस्था, विश्वास और रीति-रिवाज में फंसे हुए हैं, वहाँ NGO उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं।

NGO से संबंधित मुद्दे

विश्वसनीयता में कमी: पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई संगठनों ने मुहिम शुरू की है जो गरीबों की मदद करने के लिये काम करने का दावा करते हैं।

एक गैर सरकारी संगठन होने की आड़ में ये NGO अक्सर दानदाताओं से पैसे लेते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में भी शामिल होते हैं।

भारत में हर 400 लोगों के लिये लगभग एक NGO है। हालाँकि प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन महत्त्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यों में संलग्न नहीं है।

पारदर्शिता की कमी: भारत के गैर-सरकारी संगठनों की संख्या और इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी स्पष्ट रूप से एक मुद्दा है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।

इसके अलावा गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। अतीत में कई गैर-सरकारी संगठनों को धन की हेराफेरी में लिप्त पाए जाने के बाद ब्लैकलिस्ट किया गया था।

विकास संबंधी गतिविधियाँ: भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट ने ग्रीनपीस, कॉर्डेड, एमनेस्टी, और एक्शन एड जैसे NGOs पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद को 2-3% प्रतिवर्ष कम करने का आरोप लगाया।

निष्कर्ष

गैर-सरकारी संगठनों के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वे न केवल अपने काम बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति में भी उच्च स्तर की पारदर्शिता हासिल करें और उसे बनाए रखें। गैर सरकारी संगठनों को अपनी आय और व्यय को सार्वजनिक जांच के लिये खुला रखने की आवश्यकता है। हालाँकि किसी NGO की विश्वसनीयता का निर्धारण धन के स्रोत, देशी या विदेशी के पैमाना (Touchstone) के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। साथ ही सरकार को यह महसूस करना चाहिये कि राष्ट्रीय सीमाओं के पार विचारों और संसाधनों का सहज आदान-प्रदान वैश्विक समुदाय के कामकाज के लिये आवश्यक है और इसे तब तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि यह मानने का कारण न हो कि धन का उपयोग अवैध गतिविधियों में सहायता के लिये किया जा रहा है।

III. परिणाम

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को समाज[13,14,15] से अलग नहीं रखा जा सकता। सरकार समाज के हर वर्ग की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। NGO (गैर-सरकारी संगठन) या नागरिक समाज संगठन एक तरह का निकाय है जिसे कोई सरकार स्थापित नहीं करती है, लेकिन यह समाज के हर हिस्से तक पहुँच सकता है। गैर-सरकारी संगठन या NGO अंतर्राष्ट्रीय विकास, मानवीय राहत और परोपकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

परिभाषा के अनुसार एनजीओ गैर-लाभकारी होते हैं, हालांकि उनका वार्षिक बजट लाखों से लेकर अरबों डॉलर तक होता है। नतीजतन, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) व्यक्तिगत दान और सदस्यता शुल्क से लेकर सरकारी सहायता तक विभिन्न वित्तीय स्रोतों पर निर्भर करते हैं।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

अनुच्छेद 19 (1) (सी)
यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकों को समूह और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के निर्णय ने स्थापित किया कि इस अधिकार में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। यह अनुच्छेद भारत में गैर सरकारी संगठनों को वैधता प्रदान करता है।

एनजीओ और उनके प्रकार के बारे में
जबकि "एनजीओ" शब्द के कई अर्थ हैं, इसे आम तौर पर गैर-लाभकारी, निजी समूहों के रूप में समझा जाता है जो सरकारी प्राधिकरण के बाहर काम करते हैं। कुछ एनजीओ स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि अन्य में वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। विश्व बैंक गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के दो महत्वपूर्ण प्रकारों में अंतर करता है:

1. कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) विकास कार्यक्रमों का डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं।
2. वकालत करने वाले गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य किसी विशिष्ट कारण का बचाव या प्रचार करके सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना है।

कुछ गैर सरकारी संगठन एक ही समय में दोनों श्रेणियों में आ सकते हैं। ऐसे गैर सरकारी संगठन जो मानव अधिकारों का समर्थन करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पैरवी करते हैं, या राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, वे गैर सरकारी संगठनों के उदाहरण हैं।

एनजीओ की भूमिका
एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सरकार और आम जनता के बीच संपर्क का काम करता है। जब कुछ चिंताएँ सरकार तक नहीं पहुँच पातीं या उनका समाधान नहीं होता, तो एनजीओ के कार्य इन मुद्दों को सरकार को सौंपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनजीओ कुछ समस्याओं पर स्पष्ट रूप से विचार करता है। उनका मुख्य लक्ष्य सभी पीड़ित मनुष्यों के लिए दुनिया को बेहतर बनाना है।

एनजीओ का उद्देश्य मानवाधिकार, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और वकालत से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। वे बड़े पैमाने पर समाज की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने का प्रयास करते हैं। एनजीओ के कुछ कार्य निम्नलिखित हैं:

- मानव अधिकार और बाल अधिकार
- गरीबी उन्मूलन
- पशु अधिकार
- सामाजिक अन्याय को रोकें
- पर्यावरण संरक्षण
- वृद्ध लोगों की देखभाल की दिनचर्या
- महिला सशक्तिकरण
- रोग नियंत्रण एवं अन्य
- स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाएँ
- वन्यजीव संरक्षण
- स्वच्छता और सफाई की स्थिति[16,17,18]
- मानवीय आधार पर राहत
- शिक्षा योजनाएँ और साक्षरता
- शरणार्थी संकट

इसलिए सभी समाजों में NGO की आवश्यकता है। आइए देखें कि भारत जैसे देश में NGO का क्या महत्व है।
गैर सरकारी संगठनों की आवश्यकता
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के कार्य समाज की बेहतरी और प्रगति के लिए सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रदर्शित किया गया है कि ये संगठन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय हैं और मानवता और अन्य महान उद्देश्यों की सेवा करते हैं। एनजीओ के सदस्यों को संगठन के लक्ष्यों और कार्यों के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित, समर्पित, प्रेरित और उत्साही होना चाहिए। एनजीओ की कुछ ज़रूरतें निम्नलिखित हैं।

- एक सुरक्षा-वाल्व सामाजिक एनजीओ सार्वजनिक असुविधा को व्यवस्थित करने और सामाजिक चिंताओं और जरूरतों की वकालत करने में महत्वपूर्ण है
- वे गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवाज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
- गैर सरकारी संगठनों की जिम्मेदारियों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि सरकार नागरिकों की चिंताओं पर ध्यान दे और उनके मुद्दों का समाधान करे, जिससे सरकार का काम अधिक जिम्मेदाराना हो।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

- गैर सरकारी संगठन अपने शोध और अनुभव का योगदान देकर सरकारी निर्णयों में सुधार और लचीलेपन के लिए सुझाव देते हैं तथा उनका समर्थन करते हैं
- यह गैर-लाभकारी संगठन किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक समस्या से चिंतित लोगों को उत्तर देने और सहायता प्रदान करने के साधन के रूप में मदद करता है। एनजीओ संघर्ष में सहायता करते हैं, समाधान करते हैं और विश्वास और भरोसे का माहौल बनाते हैं।
- कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी वर्तमान आवश्यकताओं का त्याग नहीं कर रहा है या प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है; इसलिए, इस क्षेत्र को सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता है
- परिणामस्वरूप, एनजीओ हर चीज पर कड़ी नजर रख रहा है और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए नियंत्रण तंत्र तैयार कर रहा है, जिससे पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं और परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।

गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) हमेशा विभिन्न विकास समाधान प्रदान करके जवाबदेही के मामले में सबसे आगे रहे हैं। जब एनजीओ सरकारों और बाजारों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं। समाज और सरकार के बीच एक माध्यम के रूप में काम करने के अलावा, ये संगठन एक "थिंक टैंक" के रूप में काम करके, सुधार करके और नए विचारों का प्रस्ताव देकर भी सहायता करते हैं।

इसके अलावा, पर्याप्त शोध किया जाता है, जिससे विकास गतिविधियों में और सुधार होता है। एनजीओ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी धन मिलता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं और अन्य अवसरों से जुड़े रहते हैं। सिर्फ़ महामारी के दौरान ही नहीं, बल्कि सभी आपदाओं और अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान भी एनजीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधुनिक दुनिया में एनजीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।[19]

IV. निष्कर्ष

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम (वन अधिकार अधिनियम या एफआरए) को भारतीय संसद द्वारा 2006 में अधिनियमित किया गया था, जो भारत के वनों पर औपनिवेशिक कब्जे के बाद से लगाए गए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए एक विशाल सामाजिक आंदोलन के सामूहिक दबाव के बाद बनाया गया था।कुमार और केर, 2012) अधिनियम में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का प्रावधान किया गया है[1](इसके बाद सीएफआर अधिकार) यह अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि यह समुदायों के अधिकांश वन उत्पादों तक पहुंच के अधिकारों को मान्यता देता है, और उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की रक्षा, प्रबंधन और संरक्षण का अधिकार देता है, साथ ही साथ सतत उपयोग और संरक्षण की जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है।

वन अधिकार अधिनियम को लागू हुए एक दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है। इस बीच के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण सबक मिला है, वह यह है कि सिर्फ़ अधिनियम के अस्तित्व में आने से वनवासी समुदायों को वंचित होने और हाशिए पर जाने से नहीं रोका जा सकता (साहू एट अल., 2017) सबसे पहले, सामुदायिक अधिकारों का वास्तविक दावा और मान्यता अपने आप में एक कठिन प्रक्रिया रही है (महाराष्ट्र सीएफआर-एलए, 2017) हालाँकि, मान्यता केवल पहला कदम है; अधिकारों की मान्यता के बाद के चरण में भी, समुदाय अपने अधिकारों पर जोर देने और उनका प्रयोग करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं (कुमार और केर, 2012).

हाल ही में दुनिया भर में वन क्षेत्र प्रशासन सुधारों में वन अधिकार अधिनियम जैसे अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों को तेजी से अपनाया जा रहा है। यह विशेष रूप से विकासशील देशों में मामला है, जिनकी बड़ी आबादी सीधे वनों पर निर्भर है (सुंदरलिन एट अल., 2009;लार्सन एट अल., 2008)। ये अधिकार-आधारित दृष्टिकोण न केवल गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हैं , बल्कि वनवासी समुदायों (जिन्हें आगे समुदाय कहा जाएगा) के 'अस्तित्व और सम्मानजनक जीवन' के लिए भी आवश्यक माने जाते हैं।ओडीआई (ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट), 1999:1;जॉनसन और फ़ोर्सिथ, 2002)। अध्ययनों से पता चला है कि केवल अधिकार-आधारित कानून पारित हो जाने से न तो इसके क्रियान्वयन की गारंटी मिलती है और न ही इसके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वास्तव में, कागज़ पर अधिकार दिए जाने के बाद भी, कानून के लक्ष्य तब तक पूरे नहीं हो पाते जब तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र न हो कि समुदाय अपने अधिकारों का प्रयोग करने और उन्हें सौंपी गई ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम हैं (लार्सन एट अल., 2008) इसलिए, जब राज्य एक औपचारिक रणनीति के रूप में अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को लागू करता है और समुदायों को अधिकार और जिम्मेदारियाँ हस्तांतरित करता है, तो राज्य से नई प्रथाओं या बहुस्तरीय समर्थन की अक्सर आवश्यकता होती है (ओझा एट अल., 2009).

'जिम्मेदारी' की अवधारणा, जो इस विशेष अंक का विषय है, एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रदान करती है जिसके माध्यम से अधिकारों की मान्यता के बाद के चरण में गतिविधियों की जांच की जा सकती है। कुछ विकेंद्रीकरण विद्वानों द्वारा समझे गए जिम्मेदारी, (मुस्तलाहटी एट अल., 2019) को (आलोचनात्मक रूप से) प्रशासनिक विकेंद्रीकरण (या इसके कई रूपों) के माध्यम से स्थानीय

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

समुदायों पर सत्ता के हस्तांतरण के बिना तकनीकी लक्ष्यों को थोपने के रूप में देखा जाता है। विकेन्द्रीकृत वानिकी सुधारों के संदर्भ में , ऐसी प्रक्रिया पर्यावरणीय विषयों को आकार देने की ओर ले जाती है[2], जिससे वे अपने कल्याण और भलाई के कुछ पहलुओं के लिए जिम्मेदार बन गए, जिन्हें पहले राज्य का कर्तव्य माना जाता था (एरबॉघ, 2019;फेय, 2019)। इनमें न केवल स्थिरता और संरक्षण मानदंडों को पूरा करना शामिल हो सकता है, बल्कि वन उपज का विपणन भी शामिल हो सकता है, जहाँ पहले राज्य की प्रमुख भूमिका रही होगी। भारत में पहले के विकेंद्रीकरण कार्यक्रम जैसे संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) स्पष्ट रूप से 'जिम्मेदारी' की समस्या से ग्रस्त थे - जिम्मेदारियों का हस्तांतरण, लेकिन पर्याप्त अधिकार नहीं, गांव स्तर की संस्थाओं को (लेले, 2014) अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अलग होने चाहिए, क्योंकि वे अधिकारों और वन प्रबंधन के प्राधिकार को वैधानिक रूप से परिभाषित नीचे की ओर जवाबदेह संस्थाओं को हस्तांतरित करते हैं (कुमार एट अल., 2015) हालाँकि, वास्तव में, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से उत्तरदायित्व भी उत्पन्न हो सकता है यदि इसमें समुदायों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने और उनकी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता का निर्माण शामिल नहीं है। इसलिए, उत्तरदायी शासन में बदलाव का एक तरीका आवश्यक है।मुस्तलाहटी एट अल., 2019जिसमें राज्य समुदायों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के प्रति उत्तरदायी हो (ओझा एट अल., 2009).

दुर्भाग्य से, अधिकारों की मान्यता के बाद के चरण में अक्सर पर्याप्त राज्य समर्थन नहीं मिल पाता है। हालांकि वन अधिकार अधिनियम, संशोधन नियम 2012 की धारा 16 में निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य सरकार को अपने विभागों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिन समुदायों के अधिकारों को उस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई है और निहित किया गया है, उन्हें दावे के बाद समर्थन मिले, लेकिन राज्य एजेंसियों ने अधिकार धारकों को सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया है। इस तरह के समर्थन के अभाव में, गैर-राज्य अभिनेता हस्तक्षेप कर सकते हैं (जॉनसन और फ़ोर्सिथ, 2002;राइट और एंडरसन, 2013;बार्न्स एट अल., 2016)। ये गैर-राज्य अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं से लेकर समुदाय-आधारित संगठनों और/या गैर सरकारी संगठनों तक हो सकते हैं। ये ज़्यादातर ऐसे अभिनेता हैं जो वनवासी समुदायों के हाशिए पर होने के विरोध में सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और उनके अधिकारों की मान्यता की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, एक बार अधिकार दिए जाने के बाद, ये कार्यकर्ता विरोध या आंदोलन से अपनी भूमिका बदलकर रचनात्मक कार्य करने लगते हैं (बार्न्स एट अल., 2016) तथापि, समुदायों द्वारा ऐसे रचनात्मक कार्य को सुगम बनाने के लिए इन गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा नियोजित प्रक्रिया का अभी भी पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है (लार्सन एट अल., 2008;राइट और एंडरसन, 2013,मुस्तलाहटी एट अल., 2019) इसलिए, इस अध्ययन में हम भारत में वन अधिकार अधिनियम के उदाहरण का उपयोग ऐसे गैर-राज्य अभिनेताओं की गतिविधियों की जांच करने के लिए करते हैं, ताकि समुदायों को उनके वन उपयोग और प्रबंधन से संबंधित अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने में उनकी भूमिका को समझा जा सके।

हमने भारत में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में एक अध्ययन किया, जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए जाना जाता है (महाराष्ट्र सीएफआर-एलए, 2017) फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस शोध का उद्देश्य समुदायों द्वारा अपने सीएफआर अधिकारों का प्रयोग करने और अधिकार मान्यता के बाद के चरण में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आने वाली चुनौतियों को प्रदर्शित करना है। इसके अलावा, हम राज्य और समुदायों के बीच सेतु के रूप में काम करने और उत्तरदायी शासन को सक्षम करने में गैर-राज्य अभिनेताओं द्वारा निभाई गई भूमिका की भी जाँच करते हैं। इस अध्ययन के लिए चुने गए गैर-राज्य अभिनेता एनजीओ हैं। हम जो सवाल पूछते हैं वे हैं: एनजीओ समुदाय के भीतर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियाँ करते हैं? कौन सी गतिविधियाँ समुदाय के बाहर के एजेंटों या पहलुओं पर केंद्रित हैं, जैसे कि राज्य और बाज़ारों के साथ जुड़ाव? अंत में, एनजीओ गाँवों की तुलना में उन गाँवों में क्या अंतर लाते हैं जहाँ एनजीओ का हस्तक्षेप नहीं है?

लेख निम्नानुसार आगे बढ़ता है:धारा 2यह विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व, उत्तरदायी शासन और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर साहित्य की समीक्षा और विश्लेषण है, जिसमें विशेष रूप से भारत पर साहित्य शामिल है। यह खंड हमारी जांच के लिए तर्क भी प्रदान करता है।धारा 3अध्ययन क्षेत्र और डेटा संग्रह के लिए नियोजित विधियों का विवरण है।धारा 4यह अध्ययन का परिणाम अनुभाग है।धारा 5इसमें अध्ययन से प्राप्त परिणामों और निष्कर्षों की चर्चा शामिल है। इस खंड में, हम अध्ययन के व्यापक निहितार्थों और सीमाओं पर भी चर्चा करते हैं और भविष्य के शोध के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।[20]

संदर्भ

1. "Europe in a suitcase: Oliver Wardrop Discussions". Europe-Georgia Institute. 29 October 2019. Retrieved 31 March 2021.
2. ^ Church, Jim (26 August 2021). "Library Guides:Governmental Organizations (NGOs): Introduction". guides.lib.berkeley.edu. Archived from the original on 26 August 2021. Retrieved 26 August 2021.
3. ^ "NGO", Macmillan Dictionary
4. ^ Claiborne, N (2004). "Presence of social workers in nongovernment organizations". Soc Work. 49 (2): 207–218. doi:10.1093/sw/49.2.207. PMID 15124961.

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.802 | A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 11, Issue 4, April 2024 |

5. ^ [a b c] Leverty, Sally (2008). "NGOs, the UN and APA". American Psychological Association. Retrieved 12 August 2021.
6. ^ Horowitz, Jason (11 August 2017). "Ship Monitoring Rescues of Migrants Refuses to Be Rescued". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 22 November 2019.
7. ^ "Nongovernmental Organization (NGO)". United States Institute of Peace.
8. ^ Karns, Margaret P. (23 October 2023). "Nongovernmental organization". Encyclopaedia Britannica.
9. ^ "NGO – meaning in the Cambridge English Dictionary". dictionary.cambridge.org.
10. ^ "NGO". Lexico UK English Dictionary. Oxford University Press. Archived from the original on 5 March 2020.
11. ^ [a b] "What is an NGO? What role does it play in civil society? | Knowledge base". Candid Learning. Retrieved 12 August 2021.
12. ^ "Non-Governmental Organizations (NGOs) in the United States" (fact sheet). 20 January 2017. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. U.S. Department of State. state.gov. Retrieved 21 September 2017.
13. ^ [a b c] Vakil, Anna (December 1997). "Confronting the classification problem: Toward a taxonomy of NGOs". World Development. 25 (12): 2057–2070. doi:10.1016/S0305-750X(97)00098-3.
14. ^ "Hobbled NGOs wary of Medvedev". Chicago Tribune. 7 May 2008. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 7 October 2011.
15. ^ "India: More NGOs, than schools and health centres". OneWorld.net. 7 July 2010. Archived from the original on 25 August 2011. Retrieved 7 October 2011.
16. ^ "First official estimate: An NGO for every 400 people in India". The Indian Express. 7 July 2010.
17. ^ "US Department of State". Retrieved 11 January 2023.
18. ^ [a b c] Lawry, Lynn (2009). Guide to Nongovernmental Organizations for the Military (PDF). pp. 29–30. Archived from the original (PDF) on 30 July 2013.
19. ^ [a b c d e f g h] Willetts, Peter. "What is a Non-Governmental Organization?". UNESCO Encyclopaedia of Life Support Systems. City University London. Retrieved 18 July 2012.
20. ^ [a b c d e f] Folger, Jean (18 January 2021). "What is an NGO (Non-Governmental Organization)?". Investopedia. Retrieved 12 August 2021.

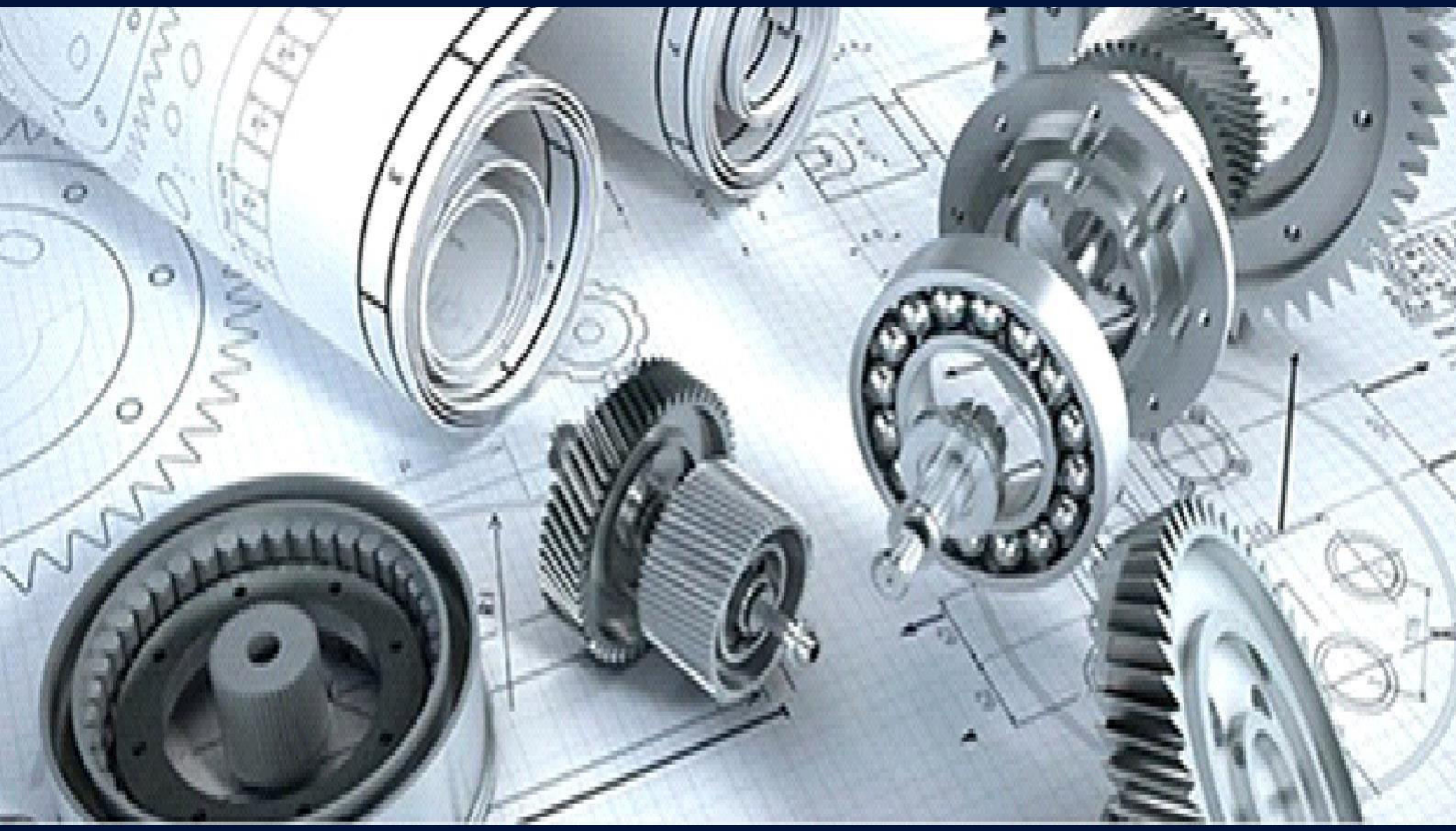

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com